**संख्या-141/2025/I/1107087/2025/71-1001(099)/3/2021**

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांक 08 अक्टूबर, 2025**

**विषय-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/555, दिनांक 07.03.2025 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/114/45, दिनांक 16.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 3177.93 लाख का मूल्यांकन/परीक्षण कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 2269.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 2269.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 | शासनादेश संख्या व दिनॉक | निर्गत धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 | 518.99 |
| 2 | संख्या-126/2022/I/243242/2022-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 02.12.2022 | 300.00 |
| 3 | संख्या-96/2022/I/340999/2023-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 29.06.2023 | 315.915 |
| 4 | संख्या-159/2023/I/454587/2023-71-1001(099)/3/2021, दिनांक 22.12.2023 | 217.24 |
| 5 | संख्या-93/2024/I/671888/2024-71-1001(099)/3/2021, दिनांक 21.06.2024 | 917.665 |
| **योग-** | | **2269.81** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित **पुनरीक्षित लागत रू0 3114.30 लाख (रू0 इकतीस करोड़ चौदह लाख तीस हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैशी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाए, किंतु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कास्ट) के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित कर लिया जाए। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाए, ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत राजकोष में जमा किया जाए।

3. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 54.73 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रभाग का मत है कि प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।

4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (कंज्यूम्ड) की गयी सामग्री यथासीमेंट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाए।

5. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट एंव लिफ्ट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

14. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**4-** यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-34/दस-2025-26, दिनांक 27 जून, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

**संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**आनन्द कुमार त्रिपाठी**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।